भारत सरकार / Government of India

परमाणु उर्जा विभाग / Department of Atomic Energy

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

चिकित्सा प्रभाग / Medical Division

सं.Ref: RRCAT/LBAD/RMC/Circular/01/2023/288 मई 20 , 2024

विषय: कृत्रिम श्रवण उपकरणों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

Sub.: SOP for reimbursement of artificial hearing aids

कृत्रिम श्रवण उपकरणों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों के निपटान के दौरान निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

Following SOP shall be followed while dealing with cases for reimbursement of artificial hearing aids -

a) आरएमसी डॉक्टर लाभार्थी को सीजीएचएस/सरकारी अस्पताल/सीएस (एमए) पैनलबद्ध अस्पताल/ आरआरकेट के पैनलबद्ध अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ के पास भेजने हेतु रेफरल नोट जारी करेगा।

RMC doctor shall issue referral note directing beneficiary to ENT specialist of CGHS / Government hospital / CS(MA) empanelled hospital / RRCAT empanelled hospital.

b) ईएनटी विशेषज्ञ बहरेपन की डिग्री और प्रकृति की पहचान करके लाभार्थी के लिए सबसे उपयुक्त श्रवण उपकरणों के प्रकार को विनिर्दिष्ट करते हुए ऑडियोमेट्रिक और ऑडियो-लॉजिकल मूल्यांकन के आधार पर श्रवण उपकरणों की सिफारिश करेंगे। 'ऑडियोग्राम रिपोर्ट' ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

Such ENT specialist shall then recommend hearing aids on basis of Audiometric and Audio-logical assessment, specifying the type of hearing aids most suited for the beneficiary by identifying the degree and nature of deafness. The 'Audiogram Report' shall be authenticated by the ENT specialist.

c) परमाणु उर्जा विभाग के वर्तमान स्पष्टीकरण के अनुसार, कृत्रिम द्विकर्णीय श्रवण उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए श्रवण हानि(बहरापन) इस प्रकार निर्धारित है,-गंभीर से गहन द्विकर्णीय श्रवण हानि (बहरापन)(बेहतर कान में औसत श्रवण सीमा 71 डेसिबल से अधिक) वाले वयस्कों के मामले में जिन्हें एकल श्रवण उपकरण से पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है तथा द्विकर्णीय जन्मजात या प्रारंभिक शुरुआती बहरेपन से पीड़ित बच्चों के मामले में, जिन्हें बेहतर कान में 41 डेसिबल की औसत श्रवण सीमा के साथ द्विकर्णीय मध्यम श्रवण हानि (बहरापन)है।

As per existing clarification from DAE, hearing loss prescribed for reimbursement of cost of artificial binaural hearing aids **in case of adults** having bilateral severe to profound hearing loss (average hearing threshold **more than71 db in better ear)** who do not benefit adequately with single hearing aid and **in case of children** with bilateral congenital or early onset deafness having bilateral moderate hearing loss with average hearing threshold of **41 db in better ear**.

d) श्रवण उपकरण खरीदने की अनुमति इस वचन के आधार पर दी जाएगी कि लाभार्थी को पिछले पांच वर्षों में श्रवण उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

The permission to procure hearing aid shall be granted against an undertaking that the beneficiary has not been reimbursed the cost of hearing aids in the preceding five years.

e) एकल कर्णीश्रवण उपकरण के व्यय की प्रतिपूर्ति 30,000/- रुपए तक तथा द्विकर्णीय श्रवण उपकरण के लिए 60,000/- रु.तक सीमित होगी।

The reimbursement shall be restricted to Rs. 30,000/- for singular hearing aid and Rs. 60,000/- for binaural hearing aids.

f) दोषपूर्ण/ कार्य न करने वाले श्रवण उपकरणों को बदलने के लिए अंतिम बार श्रवण उपकरण दिए जाने की तारीख से पांच साल के बाद ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा अनुपयोगी प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। श्रवण उपकरण को बदलने हेत, आवश्यक अनुपयोगी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पुराने श्रवण यंत्र को सरेंडर करना आवश्यक है।

Replacement of defective / non functional hearing aids shall be considered after five years from the date of last issue on recommendation of/issue of condemnation certificate by ENT specialists of such hospital. For replacement of hearing aid, it is necessary to surrender the old hearing aid to issue the necessary condemnation certificate.

g) उन परिस्थितियों में भी जहां पुराना श्रवण उपकरण के खो जाने की सूचना है, वहां पुराने श्रवण उपकरण के खो जाने की स्थिति में जुर्माने के रूप में 30,000/- रुपए में से 10% काटने के बाद व्यय की प्रतिपूर्ति 27,000/- रुपए होगी (जीवनकाल में केवल एक बार)।

Even in circumstances where the old hearing aid is reported to be lost, the reimbursement cost would be Rs. 27,000/- after deducting 10% of Rs. 30,000/- towards penalty for the loss of old hearing aid (only once in lifetime)

20/05/2024

(वर्षा चं कदम / Varsha C. Kadam)
सहायक कार्मिक अधिकारी/Assistant Personnel Officer
प्रभारी, चिकित्सा प्रभाग प्रशासनिक प्रकोष्ठ
In-Charge, Medical Division Administrative Cell

प्रति / To,

- समस्त सूचना पट्ट / All Notice Board
- मेल ऑल / Mail All
- प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, आरआरकेट / Head, Medical Division, RRCAT
- प्रभारी, आरएमएसएस, चिकित्सा प्रभाग, राराप्रप्रौके / In-charge, RMSS, Medical Division, RRCAT
- प्रमुख, संगणक प्रभाग, राराप्रप्रौके / Head, Computer Division, RRCAT
- निदेशक कार्यालय, राराप्रप्रौके / Director's Office, RRCAT
- अध्यक्षएवं सदस्य, एसीआरएमसी / Chairman and Members of ACRMC
- महासचिव, केटसा / General Secretary, CATSA
- महासचिव, केटगंगा / General Secretary, CATGANGA
- प्राचार्य, एईसीएस, राराप्रप्रौके / Principal, AECS, RRCAT